मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2006 (फाल्गुन 19, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रामपाल सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

(3) चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम अधिनियम, 1976 (क्रमांक 2 सन् 1977) की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, राजनारायण सिंह पूरनी, सदस्य, व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पी.ई.टी. एवं पी.एम.टी. की परीक्षाएं समय पर आयोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगौन जिले के ग्राम मर्दाना में ठेकेदारों द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री रामलखन शर्मा, इन्द्रजीत कुमार, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, भिण्ड में डकैत को संरक्षण देने वाले पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ.गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामलखन शर्मा, आरिफ अकील, सदस्य, भिण्ड जिले के जमसारा जल उपभोक्ता समिति के चुनाव के दौरान मारपीट होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया), सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम धुरवार स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(2) श्री धुलजी चौधरी, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम मूंदड़ी में 20 बिस्तरीय अस्पताल खोले जाने,

(3) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य, होशंगाबाद जिले के इटारसी मंडी से तवा नदी पुल तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल शहर के-

(क) कोटरा सुल्तानाबाद क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों को हटाये जाने, तथा

(ख) पी.एन.टी. चौराहा स्थित शराब की दुकान को हटाये जाने,

(5) श्री ध्रुव प्रताप सिंह (दीपक भैया), सदस्य, कटनी जिले के -

(क) कैमोर नगर में हाईस्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम कारीतलाई से हरदुआ तक पहुंच मार्ग बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम बरहटा से सुड्डी तक सड़क बनाये जाने,

(6) श्री शिवप्रसाद राठौर, सदस्य, बैतूल जिले के -

(क) ग्राम बघोली से बैतूल बाजार तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम चांद बेहड़ा, सोनाघाटी तथा सिल्लौट में हाई स्कूल खोले जाने,

(ग) ग्राम बारव्ही से कोलगांव तक पक्की सड़क बनाये जाने,

(घ) बैतूल सदर स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम खेड़ीसांवलीगढ़ से बैतूल बाजार तक सड़क निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री, दिनांक 24 फरवरी, 2006 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 344) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.......(क्रमशः)

निर्धारित समय			
1 घन्टा	(1)	मांग संख्या -37	पर्यटन
		मांग संख्या -43	खेल और युवक कल्याण.
1 घन्टा .	(2)	मांग संख्या -55	महिला एवं बाल विकास.
2 घन्टे	(3)	मांग संख्या -13	कृषि
		मांग संख्या -54	कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा
		मांग संख्या -82	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण.
2 घन्टे	(4)	मांग संख्या - 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
		मांग संख्या - 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या - 35	पुनर्वास
		मांग संख्या - 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व
		मांग संख्या - 58	प्राकृतिक आपदा एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के अनेक जिलों में अतिवृष्टि एवं ओला वृष्टि से फसलों के नष्ट होने के संबंध में श्री रामलखन शर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री उमाशंकर गुप्ता, पं. हरिचरण तिवारी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह मालवीय, श्री अर्जुन पलिया, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री आरिफ अकील, श्री हुकुमचंद यादव, श्री सुनील नायक, श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया), श्री ओमप्रकाश खटीक, श्री हरिवल्लभ शुक्ला, श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे.

8. अशासकीय संकल्प

(1) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में विकलांगों के उत्थान के लिये सामाजिक न्याय बोर्ड का गठन किया जावे."

(2) सर्वश्री उमाशंकर गुप्ता, आरिफ अकील, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के ऐसे तालाब जिनसे शहरों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है, उन में सिंघाड़े की खेती को प्रतिबंधित किया जावे".

(3) श्री बृज मोहन दास धूत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि नर्मदा नदी के नाभि स्थल नेमावर को पर्यटक स्थल घोषित किया जावे".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक: 9 मार्च, 2006